न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2024

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट

1. कुशलाराम पुत्र उमाराम सुथार
2. घमण्डाराम पुत्र उमाराम सुथार
3. भगवानाराम पुत्र उमाराम सुथार
4. भीयाराम पुत्र उमाराम सुथार

(निवासी ग्राम रूघासर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर)

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना राजस्व आवेदन सं0 1/2023 आदेश दिनांक 18.9.23

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2023 के द्वारा तहसीलदार धोरिमन्ना के पत्र कमांक 1106 दिनांक 26.07.2023 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम रूघासर तथा भालीखाल के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 76 ग्राम रूघासर की भूमि में से 0.2071 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। अपीलांट्स उक्त खसरान का रेकर्डेड कब्जाकाश्त खातेदार है व मौके पर रास्ता चालू नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया एवं न ही सहमति ली गई। प्रत्यर्थी अपीलाधीन आदेश की आड में राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने पर उतारू है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप—6) के परिपत्र दिनांक 10.8.16 की पालना में तहसीलदार धोरीमन्ना के आवेदन पर मौके पर स्थायी रूप से चालू (कदीमी) रास्ते को सार्वजनिक हित में राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु पारित किया गया है। मौका फर्द दिनांक 9.8.23 के अनुसार प्रस्तावित खसरों में वक्ट सेटलमेंट से रास्ता चालू होना बताया गया है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार धोरीमन्ना से प्रस्ताव प्राप्त कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2023 को अपीलांट्स के ख0नं0 76 ग्राम रूघासर की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

08/05/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर